



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692,
25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM:

10 K.M. SIRSA ROAD,

HISAR-125001

No. CSF/11-5(Auction)/Hort./2015/57

Dated: April 16, 2015

निविदासूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 किलोमीटर सिरसा रोड़ हिसार में फलदार पौधों के फलों की खुली बोली वर्ष भर (2015-16) हेतु दिनांक 21.04.2015 को होगी। यदि किसी वजह से दर ठीक नहीं आती है तो दोबारा बोली दिनांक 28.4.2015, 05.05.2015 व 12.05.2015 को सांय 3.00 बजे उन्हीं षर्तों के आधार पर की जाएगी। इच्छुक ठेकेदार सील बंद टेन्डर भी उपमहाप्रबंधक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के नाम पर भेज सकते हैं। जो इस कार्यालय में दिनांक 21.04.2015, 28.04.2015, 05.05.2015 व 12.05.2015 को 1.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। सील बंद टेन्डर के साथ धरोहर राशि रुपये 100000/- (एक लाख रुपये) का ड्राफ्ट सलंगन होना चाहिए जो jk"Vh; ch t fuxe fyfeVM के नाम देय हो। इसके बिना टेन्डर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सील बंद टेन्डर निलामी शुरू होने से पहले जमा करवाने होंगे व नीलामी (खुलीबोली) समाप्त होने पर खोले जाएंगे।

क्रम संख्या	फलों का नाम तथा किस्म	पौधों की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1	आम – दशहरी, मलिका, आम्रपाली आदि	121	2.00
2	अमरुद – लखनऊ 49, इलाहाबादी, सफेदा, आदि	1950	11.20
3	बैर – उमरान, गोला, सेब आदि	2055	14.00
4	आंवला – बनारसी, चकैया	115	0.80
5	नींबू – प्रजाति, किन्नो ग्रेपू – फूट आदि	1620	11.60
6	अनार – जोधपूर रेड, गेनेष आदि	230	2.30
7	बेल – सी.आइ.एस.एच.-1 और 2 आदि	325	1.60
8	फालसा	300	0.40
9	खजूर	160	रोड़ साईड

अतः जो सज्जन उपरोक्त बाग के फलों को लेने के इच्छुक हों तो वह उपरोक्त तिथि व समय पर पहुँच कर बोली दें। बोली देने से पहले बोली दाता को धरोहर धनराशि रुपये 100000/- (एक लाख) ड्राफ्ट के माध्यम से फार्म के खजांची के पास जमा करवाने होंगे।

सफल बोली दाता को बोली मंजूर होने पर कुल बोली का 25% धनराशि उसी समय जमा करवानी होगी तथा इसके साथ स्वीकृत राशि की बैंक गारंटी ६ सम्पत्ति के कागजात भी देना अनिवार्य है। असफल बोली दाता को जमा धरोहर राशि बैंक के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। निलामी से सम्बन्धित नियम, षर्तें व अन्य प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। टेन्डर फार्म 200/- रुपये जमा करा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

उद्घानाधिकारी

कृते उपमहाप्रबंधक (फार्म)



राष्ट्रीय बीज निगम
लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692,
25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com

Hisar

Central State Farm,

10 Km. Sirsa Road,

Hisar

-File no.csf/11- 5(Auction) /Hort./2015-16

Date:-

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में वर्ष 2015-16 में फलों की बिक्री हेतु नियम व शर्तें ।

1. ठेकेदार को टेंडर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम एक पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र डाईविंग लाईसेंस, खेत का खसरा-खतौनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके । यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई सांझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात सांझेदारों से संबंधित हो । यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे कम्पनी का पार्षद सीमा नियम/अर्न्तनियम, पंजीकरण प्रमाण पत्र व निदेशक मंडल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा ।
2. प्रत्येक बोलीदाता को बोली/टेंडर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि रु0 100000/-रुपये एक लाख रुपये डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो रा"Vh; cht fuxe लि. के नाम देय हिसार हो, फार्म के खंजाची के पास जमा करानी होगी। बागों की बोली यदि प्रत्येक लाट या उद्यान के हिसाब से अलग-अलग दी जाती है तो प्रत्येक लाट/उद्यान की बोली हेतु धरोहर धन राशि अलग-अलग जमा करनी होगी । जो कि असफल बोलीदाता को बोली समाप्त होने पर उसी दिन लौटा दी जायेगी । बोली स्थल पर कोई अस्त्र शस्त्र ले जाना निषिध हैं । सन्देहास्पद दशा में तलाशी भी ली जा सकती हैं ।
- 3 सफल निविदादाता/बोलीदाता को फार्म द्वारा बाग के फलों की स्वीकृति होने के बाद 48 घण्टे के अन्दर स्वीकृत राशि का 8 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जा रा"Vh; cht fuxe लि. के नाम देय हिसार हो, फार्म के खंजाची के पास जमा करानी होगी। तथा इसके साथ स्वीकृत राशि की बैंक गारंटी व सम्पत्ती के कागजात भी देना अनिवार्य। बैंक गारंटी व अपनी सम्पत्ती के कागजात न देने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है। तथा जमा की गई धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

4. यह प्रतिभूति राशि व धरोहर राशि ठेके के सन्तो" tud ijk gku ij फार्म द्वारा ठेकेदार को वापिस कर दी जायेगी। इस राशि पर कोई ब्याज फार्म द्वारा नहीं दिया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में प्रतिभूति राशि व धरोहर राशि फलों के ऐवज में ठेकेदार द्वारा फार्म में जमा होने वाली राशि में समायोजित नहीं की जायेगी।
- 5 अगर सफल निविदादाता/बोलीदाता फार्म में प्रतिभूति राशि 48 घण्टे में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा नहीं करवाता है तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा की गई धरोहर राशि रु 100000/- एक लाख रुपये फार्म द्वारा जब्त कर ली जायेगी। व बाग का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 6 उप-महाप्रबन्धक (फार्म), केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर सकता है।
- 7 खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न भिन्न होगी जिसको फलों की नीलामी के समय फलों की प्रकृति एवं स्वभाव अनुसार अवगत कराया जाएगा। ज्यों ही फलों के चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फल वृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके फलों की तुड़ाई शीघ्रातिशीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। खरीददार को अमरुद 31 मार्च 2016 तक, नीबू प्रजाति के फलों को 31 जनवरी 2016 तक, बेल 15 मई 2016 तथा बेर फलों 26 अप्रैल 2016 तक व अन्य फलों को वर्ष 2015-16, 31 मार्च 2016 तक तोड़ने का अधिकार होगा।
- 8 बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव व अन्य वांछित कार्य समय समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें।
- 9 यदि कोई व्यक्ति बिना खरीददार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया गया तो खरीददार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के उपमहाप्रबन्धक (फार्म) को देगा।
- 10 फलों को तोड़ने व सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, बीमारी/कीड़ों आदि प्राकृतिक/अप्राकृतिक से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।

- 11 यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र उपमहाप्रबन्धक (फार्म), केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार को स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा जिसकी सूचना बाग के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी को भी देगा । फल तोड़ने के लिए खरीददार व उसके द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेंगे वो अनुबन्ध के समय फार्म के प्रभारी व सम्बन्धित अधिकारी तथा उपमहाप्रबन्धक (फार्म) को देना होगा । उपमहाप्रबन्धक (फार्म) द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि /कार्यकर्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई सुरक्षा पैकिंग, ढुलाई आदि ठेके से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे ।
- 12 यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो फल ठेकेदार / खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुछ फल अधिकतम मात्रा 10 किंव० हिसार पर फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं दी जाएगी । फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका हर्जाना नहीं दिया जाएगा ।
- 13 यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा । किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म उपमहाप्रबन्धक (फार्म) द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान फल ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा । इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा । झगड़ा या मतभेद के मामले में उपमहाप्रबन्धक (फार्म), केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार का निर्णय अन्तिम होगा ।
- 14 नीलामी के उपरान्त फल ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे चुँगी, नगरपालिका सेस आदि यदि हो तो फल ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा ।
- 15 फल ठेकेदार/खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर उप-महाप्रबन्धक (फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार को जमा की गई प्रतिभुति राशि व धरोहर राशि व अन्य चुकाई गई किश्त व राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना उप-महाप्रबन्धक (फार्म) महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तांतरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति को नहीं करेगा ।
- 16 इस सौदे के लिए रु०100/- एक सौ के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा । स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा । यह अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 3 दिनों के अन्दर ही करना होगा ।
- 17 खरीददार फार्म एरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा । यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबंध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खजांची के पास जमा करानी होगी ।

- 18 नीलामी के पश्चात अगर बोलीदाता फार्म द्वारा दी गई निश्चित तिथियों पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फार्म प्रशासन द्वारा फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। बकाया रकम व ब्याज जमा न करवाने पर बिना सूचना के, फार्म द्वारा ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है या फार्म अपने स्तर पर बाकी बचे हुए फलों को बिना नीलामी के बेच सकता है। जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। ठेकेदार की जमा की गई प्रतिभूति राशि व धरोहर धनराशि व अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि पुनः ठेका की प्रक्रिया में या फार्म द्वारा स्वयं बेचने पर कोई हानि फार्म को होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।
- 19 शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोली दाता की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी। उस हालत में प्रतिभूति राशि व धरोहर-राशि और उस समय तक जमा की गई किस्त की राशि जो भी फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर ली जाएगी। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोलीदाता से वसूली जाएगी।
- 20 साधारणतया फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगी। किसी भी भार वाहन द्वारा फलों को ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म के प्रतिनिधि से करवाकर व गेट पास लेना आवश्यक होगा।
- 21 यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने का अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 22 ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म, ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
- 23 ठेकेदार उसके प्रतिनिधि या कार्यकर्ताओं को कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेश करने व बिना अनुमति जब्त फल तोड़ने या उपद्रव करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 24 **खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्तें :-**
1. ठेकेदार को नीलामी धन राशि का 25% बोली मंजूर होने के तुरंत बाद जमा करना होगा। यदि कोई ठेकेदार पूरी राशि तुरंत जमा नहीं कर पाता है तो बकाया राशि अधिकतम 18% वार्षिक ब्याज के साथ दो दिन के अन्दर जमा करवानी होगी। निर्धारित समस्त धन राशि जमा करने पर ही ठेके का अनुबंध कर कार्य आगे जारी किया जायेगा। अगर पूरी राशि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राशि व जमा की गई राशि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है।

2. ठेकेदार को नीलामी धन राशि का योग 75% बोली मंजूर होने के दिन से एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। अगर विभिन्न फल फसलों को एक साथ नीलाम किया जाता है तो 75% नीलामी धन राशि जमा करने की निश्चित समय/अन्तरालों की सूचना फार्म द्वारा नीलामी के समय दी जायेगी।

नीलामी धनराशि जमा करने की निश्चित तिथियाँ : यदि विभिन्न फसलों की नीलामी एक साथ की जाती है तो 75% बकाया धन किस्तों में देना होगा जो कि निम्न प्रकार निश्चित होगा।

- क- 20% धनराशि 18 जून 15 तक जमा करवानी होगी। यदि ठेकेदार 18 जून 15 से पहले आम फल तोड़ता है तो 20% धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा।
- ख- 25% धनराशि 25 अगस्त 15 तक जमा करवानी होगी। यदि ठेकेदार 25 अगस्त 15 से पहले अनार और बरसाती अमरुद फल तोड़ता है तो 25% धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा।
- ग- 25% धनराशि 25 अक्टूबर 15 तक जमा करवानी होगी। यदि ठेकेदार 25 अक्टूबर 15 से पहले मौसमी माल्टा फल तोड़ता है तो 25% धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा।
- घ- 05% धनराशि 20 नवम्बर 15 तक जमा करवानी होगी। यदि ठेकेदार 20 नवम्बर 15 से पहले जाड़े के अमरुद के फल तोड़ता है तो 5 % धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा।
- 25 किस्तों का निर्धारण फार्म द्वारा फलों की किस्म, फलों के पकने का समय, फलों की मात्रा व कीमत के अनुपात के अनुसार किया जाये। अन्तिम किस्त 20 नवम्बर 2015 तक ठेकेदार द्वारा फार्म पर जमा करवानी होगी।
- 26 अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़ने से रोक कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18% ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। तत्पश्चात भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती तो ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी।
- 27 ठेकेदार को अपनी किश्तें समय पर या पूरी राशि जो अनूबन्ध में होगी एकमुश्त जमा करवानी होगी। किश्तें टुकड़ों में स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर कोई किश्त समय पर जमा नहीं होती है तथा दूसरी किश्त का समय आ जाता है तो पिछली किश्त जमा न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित तिथियों में भुगतान नहीं करता है। तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि व प्रतिभुति राशि व उस समय तक जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दुबारा कर दिया जाएगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

- 28 यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर/उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा ।
- 29 खरीददार द्वारा जमा धरोहर राशि/- 1000000 एक लाख रुपये में (ई0एम0डी0) फार्म में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार द्वारा कोई हानि फार्म को नहीं हुई है तो ठेका समाप्ति के बाद ठेकेदार को बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी ।
- 30 ठेकेदार द्वारा लगाए गये व्यक्ति फार्म एरिया में जंगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और न ही उन्हें परेशान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
- 31 बोली छूटने के बाद के वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीड़ों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर पौध संरक्षण प्रयास फार्म द्वारा किए जायेंगे । यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान प्रभारी द्वारा किए गए उपायों व प्रयासों के उपरांत भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों की कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई भी आर्थिक छूट या राहत नहीं दी जाएगी ।
- 32 ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा । इन मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
- 33 ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे । वह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा का छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना कोई निर्माण आदि कार्य नहीं करेगा । अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राशि, ठेकेदार को फार्म में जमा करानी होगी ।
- 34 यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा । उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
- 35 यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक ;सोल आर्बिट्रेटर के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिट्रेशन एंड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएँ । पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायलय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।
- 36 आर्बिट्रेशन एंड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा ।

37 देसी पौधे आंवला जट्टी खट्टी आदि फल फार्म के होंगे।

उद्यान अधिकारी
कृते उपमहाप्रबन्धक (फार्म)